

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ0( )एमएनजेवाई/चिकित्सा/2013/2303

दिनांक : ( ५.०५.२०१३

समस्त संयुक्त निदेशक (जोन), राजस्थान

समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान

विषय:- "मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना" के द्वितीय एवं तृतीय चरण के सफल क्रियान्वयन के क्रम में।

"मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना" का द्वितीय चरण दिनांक 01.07.2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 28 जांच एवं तृतीय चरण दिनांक 15.08.13 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 15 निःशुल्क जांचों का क्रियान्वयन चिकित्सा संस्थान पर गठित आरएमआरएस के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु संबंधित अधिकारियों (SDO/BD0/CMHO/BCMHO) की अध्यक्षता में आरएमआरएस की बैठक आयोजित कर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियों की जाणी है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त बैठक समयबद्ध ढंग से आयोजित करने के लिये दिशा-निर्देश जारी करें, और उक्त बैठकों का पर्यवेक्षण भी करें। जिस प्रकार से प्रथम चरण को आप द्वारा सफलता से क्रियान्वित किया गया है, उस ही के अनुरूप CHC एवं PHC स्तर पर जाँचे करने की तैयारी की जानी है।

योजना को लागू करने हेतु निम्न गतिविधियाँ (SHORT TERM ACTIVITIES) तुरन्त की जानी है:-

1. लैब एवं एक्स-रे विभाग का सिविल मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य (Repair, Renovation, Establishment of Collection Counter & Report Distribution Centers)
2. आरएमआरएस के माध्यम से मानव संसाधन की व्यवस्था (Deployment through RMRS)
3. उपकरणों की मरम्मत एवं नये उपकरणों की खरीद (Repair of Existing Equipment & Procurement of New Diagnostic Equipments)
4. लैब रिजेंट्स आदि का क्रय (Purchase of Reagent & Consumables)
5. चिकित्सकों एवं तकनीकी कर्मचारियों का प्रशिक्षण (Orientation and Hands on Training of Doctors and LT, LA, RG etc.) संबंधित जिला चिकित्सालयों अथवा मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में करवाया जाना है।
6. प्रयोगशाला के बाहर बोर्ड पर की जाने वाली जाँचों की सूची (Display Boards), दिशा-सूचक, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी वैश्वीर्लाजी, रेडियोलॉजी का नाम एवं मोबाइल नं0 तथा लैब टेक्निशियन, रेडियोग्राफर/सहा0 रेडियोग्राफर का नाम एवं मोबाइल नं0 अंकित करावे।

उपरोक्त गतिविधियों की क्रियान्विति हेतु वित्त विभाग से प्राप्त बजट को चिकित्सा संस्थानवार संलग्न सूची के अनुसार हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

निदेशक (जोन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ0( )एमएनजेवाई/चिकित्सा/2013/

दिनांक :

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चि0 स्वा0 एवं प0क0 एवं आयुर्वेद विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सहायक शासन सचिव एवं निशन निदेशक, एनआरएचएम, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, राज0 जयपुर।
5. परियोजना निदेशक/नोडल अधिकारी, एमएनजेवाई, राज0 जयपुर।
6. समस्त प्रभारी, सीएचसी राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जोन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

राजस्थान, जयपुर